FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत (नरेश सोनी) सहायक कलक्टर (SDO) बालोतरा

कोलाराम

नियम ....

बनाम केसाराम

नं 174A सन 2021

किस्म मुकदमा u/s 88 RTA

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23-10-21	वादी ने प्रार्थना पत्र के संग अभिभाषक श्री केसा कालूराम [illegible] के संग उपस्थित होकर वाद पत्र पेश किया गया। प्रतिवादी ने इकबाली जवाबदावा पेश किया गया। तहसीलदार, पटवारी के बाद जांच नाम दुरुस्ती करने की अनुशंसा की। वादी के वाद को स्वीकार कर निर्णय अलग से लिखा जाकर मजमून आज को सुनाया गया। पत्रावली फैसल [illegible] जाकर [illegible] हो।	कोलाराम [signature] [signature] उपखण्ड [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:48:54 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, (आर.ए.एस)

राजस्व वाद संख्या 1754/2021

वादी :–

कोलाराम पुत्र रामाराम

जाति सुथार निवासी बांगुडी

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. केसाराम पुत्र रामाराम जाति सुथार नि. बांगुडी

2. तहसीलदार, पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते घोषणा व दुरूस्ती

उपस्थिति :– 1. श्री कोलाराम स्वय वादी।
2. श्री तहसीलदार पचपदरा प्रविवादीगण के. 1 व 2

निर्णय

दिनांक :– 23.10.2021

वादी के द्वारा वादपत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी की संयुक्त पैतृक खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नं 362/125 रकबा 38.10 बीघा, सरहद मौजा बांगुडी तहसील पचपदरा मे स्थित है जिस पर वादी व प्रतिवादीगण का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। वादी नाबालिग होने से बचपन में लाड प्यार से बोले जाने वाला नाम केसाराम होने से राजस्व रेकर्ड में केसाराम व केसाराम नाम दर्ज किया गया। जबकि वादी का अन्य सभी दस्तावेजात भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, आयकर विभाग द्वारा जारी पेन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस एवं स्कूल रेकर्ड में वादी का सही नाम कोलाराम दर्ज है। वादी [illegible] बनाने, किसान अनुदान लेने, अन्य सरकारी योजनाओं [illegible] कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। वादी [illegible] अंकित गलत नाम इन्द्राज केसाराम व केसाराम के स्थान पर कोलाराम [illegible]ही नाम घोषित करवाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:48:54 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

प्रतिवादीगण संख्या 1 की तरफ से ईकबाली जबाबदावा पेश कर वादी के वाद पत्र के समस्त तथ्यों को सही होना स्वीकार किया गया एवं वादी का बचपन नाम केशरचन्द केशरदान पुत्र रामाराम के स्थान पर कोलाराम पुत्र रामाराम दुरूस्ती की जाती है, तो उन्हे कोई आपत्ति व उज्र एतराज नहीं है।

वाद पत्र में अंकित तथ्यों की जांच सहायक प्रभारी अधिकारी पचपदरा से करवाई गई। राजस्थान राज्य की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें नाम दुरूस्ती करने की सहमति प्रकट की गई है।

हमनें पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि खेत खसरा न0 362/125 रकबा 38.00 बीघा .... सरहद मौजा . आकड़ली तहसीलदार पचपदरा वादी का नाम बचपन में लाड प्यार का नाम केशरचन्द व कहीं केशरदान दर्ज किया गया । वादी द्वारा साक्षी में प्रस्तुत दस्तावेजात में अर्थात अन्य सरकारी व अन्य अर्द्वसरकारी दस्तावेजों सरंपचं ग्राम पंचायत आकड़ली व असोतरा एवं तहसीलदार पचपदरा की जांच रिपोर्ट के अवलोकन स्पष्ट साबित है कि वादी के बचपन का नाम केशरचन्द व कहीं केशरदान दर्ज किया गया है वादी का सही नाम कोलाराम पुत्र रामाराम है, ऐसी स्थिति में वादी के वाद को स्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है ।

उपरोक्त विवेचन वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, पचपदरा के द्वारा मजमें आम में की जांच रिपोर्ट के आधार खेत खसरा नं 362/125 ...रकबा 38.00 बीघा, वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम केशरचन्द व कहीं केशरदान के स्थान पर कोलाराम पुत्र रामाराम घोषित किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 23.10.2021 को शिविर आकड़ली व असोतरा में मजमें आम में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:48:54 IST
Reason: SelfAttested

(.........)
सहा. कलक्टर
(SDO) बालोतरा

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)
(Cill Procedure Code.Appendeix "d" 1)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

केम्प कोर्ट......आगरली कर्नलीराम

पीठासीन अधिकारी – श्री नरेश सोनी , आर.ए.एस.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
कोलाराम पुत्र रामाराम जाति सुथार नि० बांगुड़ी तहसील पचपदरा जिला बाडमेर		केसाराम पुत्र रामाराम जाति सुथार नि० बांगुड़ी राजस्थान सरकार जरिये भू –धारक तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्या :– /2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय बहाजरी श्री ...कोलाराम... ..वादी स्वंय मिनजानिब श्री ...केसाराम व... पेरोकार सरकार प्रतिवादीगण मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी जारी की जाती है कि **वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा की मजमें आम मे की मौका रिपोर्ट के आधार पर** खेत खसरा नं ...362/125... रकबा ...38.00... बीघा, सरहद मौजा ...बांगुड़ी... ....

वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम ...कैलाशचन्द्र व काड में कैलाशकान... पुत्र ...रामाराम... ...... के स्थान पर ...कोलाराम... पुत्र ...रामाराम... खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिश्चित करें।बीज मुबलिग बाबत खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारिख में तारीख वसूलयाबी तक को अदा करे।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ...23.10.2021... को जारी की गई।

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:48:54 IST
Reason: SelfAttested

मुददई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजीदावा			स्टाम्प अरजीदावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			महताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत इजराय			बाबत इजराय		
हुम्मनामा			हुम्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		